निदर्शिका

(उद्देश्य, आदर्श एवं नियमावली)

बालिका बाल-मन्दिर

मानव सेवा सङ्घ-आश्रम, वृन्दावन (मथुरा)

(सेवाभावी कार्यकर्ता के अभाव से बाल-मन्दिर सेवा बन्ध है)

स्थापित–अक्षय तृतीया, सन् १९५८ ई०

www.swamisharnanandji.org

बालमंदिर का महत्त्व एवं उद्देश्य

मानव-सेवा-संघ साधकों की संस्था है। 'व्यक्ति का कल्याण एवं सुन्दर समाज का निर्माण' इस संस्था का उद्देश्य है। इसी पवित्रतम उद्देश्य की पूर्ति के लिए जन-हितकारी प्रवृत्तियों में, प्राप्त सामर्थ्य का सदुपयोग, इस संस्था के साधकों का साधन है। उसके लिए जन-हितकारी प्रवृत्तियों का क्षेत्र अपेक्षित है। इसी आवश्यकता की पूर्ति का एक प्रमुख रूप है आश्रम का यह बाल-मन्दिर।

बालकों की यथेष्ट सेवा में ही मानव-समाज की वास्तविक सेवा है, क्योंकि वर्तमान का बालक ही भविष्य का समाज तथा राष्ट्र है। इस दृष्टि से बालक समाज की विभूति है। उसके शिक्षण और पोषण का दायित्त्व समाज पर होना चाहिए, न कि मोह-ग्रस्त माता-पिता पर। मोहयुक्त माता-पिता की गोद में पलने वाले बच्चों का समुचित विकास नहीं हो पाता है। माँ-बाप की आसक्ति के भार से दब कर उनका स्वाभाविक विकास रुक जाता है। इस रहस्य को विरले ही मनोविज्ञान-वेत्ता जानते हैं। जिस प्रकार उगते हुए अंकुर पर भारी पत्थर रख देने से उसका विकास रुक जाता है, उसी प्रकार बालक के कोमल तन, मन और प्राणों पर मोह-रूपी पत्थर के रख देने से उसकी शक्तियाँ कुण्ठित होकर क्षीण होने लगती हैं, शारीरिक

तथा मानसिक विकास रुक जाता है । अतः उनके समुचित एवं स्वाभाविक विकास के लिए उन्हें मोहयुक्त वातावरण से मुक्त करना अनिवार्य है, जिसकी पूर्ति बालमन्दिर जैसी सामाजिक शिक्षण-संस्थाओं के द्वारा ही सम्भव है ।

सम्पन्न घरों के बच्चे नौकरों की गोद में पलते हैं । उन्हें यथेष्ट स्नेह नहीं मिल पाता—कठोर न्याय और अन्याय ही मिलता है। फलस्वरूप बच्चे हृदयहीन हो जाते हैं। हृदयशीलता के अभाव में वे स्वयं नीरसता की पीड़ा से पीड़ित रहते हैं और समाज के लिए कलहकारी बन जाते हैं । अतः उनको मोह-रहित स्नेहपूर्ण गोद चाहिये, जो साधकों द्वारा संचालित बाल मन्दिरों में ही मिल सकती है।

प्रकृति की गोद में बालक स्वभाव से ही सरल, ईमानदार, निर्भय एवं सहृदय होते हैं । मूलतः उनमें बुराई नहीं होती है, परन्तु जब उन्हें अपने परिपार्श्व में बुराई देखने को मिलती है तब वे बुराई करना सीख जाते हैं। अतः उनको बुरे वातावरण से बचाने के लिए ऐसे बाल-मन्दिरों की स्थापना कितनी अनिवार्य एवं महत्त्वपूर्ण है, यह कहना अनावश्यक ही होगा ।

प्रत्येक बाल-बच्चेदार गृहस्थ पर अपने बच्चों के पालन-पोषण तथा रक्षण-शिक्षण का पवित्र दायित्त्व आज एक भार बन गया है जिसे ढोने के लिए उसे चिन्ताग्रस्त और संग्रह की चेष्टा में दिन-रात व्यस्त रहना पड़ता है । इसी विषम

परिस्थिति के कारण न तो वह आध्यात्मिक जीवन की ओर उन्मुख होता है और न हीं वह भौतिक उन्नति करने में ही समर्थ होता है । बच्चों के पालन-पोषण और शिक्षण का दायित्त्व यदि समाज अपने ऊपर ले ले तो निश्चय ही गृहस्थ चिन्तामुक्त रह कर अपनी सब प्रकार की उन्नति कर सकता है । इस दृष्टि से भी बालमन्दिर समाज का एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण अंग है ।

हमारी अभिलाषा है कि वृन्दावन बाल-मन्दिर में बालक-बालिकाएँ ऐसे वानप्रस्थी साधक-साधिकाओं की गोद में हों जो सहज ही बच्चों से मोह-ममता-रहित स्नेह रखते हों; बाल-सेवा जिनका साधन हो और जीवन को बुराई-रहित बनाकर सत्य से अभिन्न होना जिनका लक्ष्य हो । ऐसे ही साधक-साधिकाओं की पुनीत छत्रछाया तथा निकट सम्पर्क में पलकर बच्चों में ऊँचे विचारों और व्यवहारों का विकास होना स्वाभाविक है । वे इस प्रकार स्वयं अपना कल्याण और अपने प्रेरणादायी जीवन से सुन्दर समाज का निर्माण करने में समर्थ होते हैं और मानव-समाज की यही सबसे महत्त्वपूर्ण सेवा है । इस दृष्टि से बालमन्दिर मानव-समाज की एक अनिवार्य आवश्यकता है । इसपर सभी वनस्थों और गृहस्थों को यथेष्ट ध्यान देना चाहिये ।

इसी अनिवार्यता का दिशा-सूचक एक लघु प्रयास है मानव-सेवा-संघ, वृन्दाबन आश्रम-स्थित यह बालमन्दिर । मानव-सेवा-संघ ने बालिकाओं के छात्रावास को प्राथमिकता

दी है, क्योंकि बालिकाओं की सेवा बालकों की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण है । शिशु को माँ के स्वरूप में, युवक को युवती के रूप में और वृद्ध को सेविका (Nurse) के रूप में मातृ-शक्ति की अपेक्षा रहती है। दूसरे शब्दों में बाल, युवा तथा वृद्ध तीनों ही अवस्थाओं में सुयोग्य महिलाओं की अपेक्षा है । अतः संघ के इस प्रथम बालमन्दिर द्वारा बालिकाओं की, उपर्युक्त आदर्श के अनुरूप, सेवा करने की चेष्टा की जाती है।

इसका उद्घाटन १९५८ ई० में अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश तथा मानव-सेवा-संघ के अध्यक्ष श्री बी० पी० सिन्हा के द्वारा हुआ था।

हमारा आदर्श

(१) यह बाल-मन्दिर आश्रम-पद्धति पर आधारित अपने ढंग की एक अनूठी संस्था है, जिसका उद्देश्य आवासी छात्राओं के रूप में निवास करती हुई कोमलमति बालिकाओं के लिए प्रचलित शिक्षा-क्रम के निर्वाह के साथ-साथ उनका शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक, नैतिक एवं आध्यात्मिक विकास अभीष्ट है।

(२) बालक और बालिकाओं के स्वभाव तथा व्यावहारिक जीवन में जो सहज भेद है, उसे दृष्टि में रखते हुए बालिकाओं के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से उन्हें संगीत, गृह-कार्य एवं समाज तथा देश-हित के क्षेत्र में अपना योगदान करने के निमित्त से उन्हें सक्षम बनाने की दिशा में भी हम प्रयत्नशील हैं। इसके लिए विभिन्न परिषदों, विचार-गोष्ठियों, सांस्कृतिक कार्यक्रमों एवं चारित्रिक विकास के लिए प्रेरणादायी प्रसंगों के अभिनयों (Dramatic Performances) का आयोजन समय-समय पर किया जाता है।

(३) सम्पन्नता-विपन्नता के भेद के बिना, दीनता तथा अभिमान-जनित विकारों को मिटाने तथा समता की महत्ता को स्थापित करने के उद्देश्य से पढ़ाई-लिखाई, रहन-सहन, भोजन, जलपान आदि के निमित्त किसी भी छात्रा से कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता।

(४) बालिकाओं में सादगी की उदात्त भावना को जाग्रत कर उनके आन्तरिक सौन्दर्य को प्रस्फुटित करना हमारा आदर्श है।

(५) बालिकाओं के दृष्टिकोण को व्यापक और व्यावहारिक बनाने की दृष्टि से भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्त्व रखने वाले विभिन्न स्थलों पर उन्हें ले जाने के लिये भी सुयोग जुटाने की ओर ध्यान रखा जाता है।

(६) मानसिक एवं सामान्य ज्ञान-वृद्धि के लक्ष्य को क्रियान्वित करने के लिए बालमन्दिर से, एक बालकोपयोगी पुस्तकालय एवं वाचनालय भी सम्बद्ध है और इसी उद्देश्य से देश की कुछ चुनी हुई पत्र-पत्रिकायें भी मँगाई जाती हैं।

(७) बालमन्दिर का सारा प्रबन्ध मानव-सेवा-संघ की केन्द्रीय कार्यकारिणी एवं आश्रम की प्रबन्ध-समिति के निर्देशन में बालमन्दिर की अध्यक्षा कुमारी मुक्तेश्वरी जी एम०ए० एवं शिक्षा-विभाग के जीवन-व्यापी अनुभव के धनी श्री बाबू विश्वनाथ लाल जी श्रीवास्तव तथा अन्यान्य साधक भाई-बहिनों के सहयोग से संचालित है।

प्रवेश के नियम

१. बाल-मन्दिर का सत्र प्रतिवर्ष जुलाई के प्रथम सप्ताह से आरम्भ होता है। छात्राएँ मुख्यतया सत्र के प्रारम्भ में ही प्रवेश पाती हैं।

२. प्रवेश के समय बालिका की आयु ५ वर्ष से कम तथा ७ वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिये।

३. प्रारम्भ में, प्रवेश अस्थाई रूप से होते हैं। एक महीने के पश्चात् उनका पुष्टीकरण किया जाता है। इस अवधि में यदि कोई छात्रा बाल-मन्दिर के नियमों को पालन करने में अयोग्य या असमर्थ सिद्ध होती है तो उसे उसके अभिभावकों के पास भेज दिया जाता है।

४. प्रत्येक छात्रा के लिए प्रवेश के समय निम्नलिखित सामान को अपने घर से लाना आवश्यक है:—

(१) ट्रंक, दरी, गद्दा, रजाई खोल सहित, तकिया, तकिया के गिलाफ दो, कम्बल, स्वेटर दो, दो चादर, बेडकवर दो, मच्छर-दानी, ऊनी चादर, लांड्री-बैग (मैले कपड़े रखने का थैला ।

(२) बर्तन—एक थाली, दो कटोरी, एक कटोरा, एक गिलास, एक चम्मच, एक लोटा, एक बाल्टी।

(३) जूता, चप्पल, छाता

उपरोक्त सभी सामग्रियों पर बालिका का नाम अंकित होना चाहिये।

(५) पहनने के वस्त्रों में एकरूपता (Uniformity) की दृष्टि से घर पर बने हुये भिन्न-भिन्न रंग के कपड़े, अनुकूल एवं प्रिय नहीं लगते हैं। अतएव इस मद में १५० रु० वस्त्रों के लिये, एवं तख्त तथा दूसरे फर्नीचर के लिये ५० रु०, कुल २०० रु० प्रवेश के समय जमा कराना होगा।

(६) छात्राओं को वृन्दावन आश्रम तक पहुंचाने तथा वहाँ से ले जाने का दायित्त्व उनके अभिभावकों पर होगा।

(७) सत्र की अवधि में, ग्रीष्मावकाश के अतिरिक्त, कोई विशेष कारण उपस्थित होने पर ही, बाल-मन्दिर के अधिकारियों की अनुमति से बालिका को घर जाने का अवकाश मिल सकेगा।

* दैनिक कार्यक्रम *

प्रातःकाल—	५ बजे	जागने की घंटी
	५—६	प्रार्थना, नित्यकर्म, सफाई
	६ से ६.१५	व्यायाम
	६.१५—६.३०	जलपान
	६.३०—७	सत्संग
	७ से ९	अध्ययन
	९ से ९.३०	भोजन
	१० से ४	स्थानीय विद्यालयों में अध्ययन
सायंकाल—	५—५.३०	जलपान
	५½—६	सफाई
	६ से ६.३०	खेलकूद
	६.३०—७	प्रार्थना, सत्संग
	७—७.३०	भोजन
रात्रि—	७.३०—९	अध्ययन
	९	विश्राम

" शरीर विश्व के काम आ जाए,
अहम् अभिमान शून्य हो जाए एवं
हृदय प्रेम से परिपूर्ण हो जाए "

- स्वामी शरणानन्दजी

सम्पर्क

मानव सेवा संघ, वृन्दावन

राष्ट्रीय प्रेस, डेम्पियर नगर, मथुरा।